



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं० यूके/10/2012/एसटीजीजेएन/डीईएलएएएल/आर.यू-3

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
झारखंड सरकार,
रांची (झारखण्ड)

2. उपायुक्त,
जिला-रामगढ़,
झारखण्ड

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated 22/3/2013

विषय: इनलैंड पावर लिमिटेड कंपनी, टोनागातू, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ व झारखण्ड सरकार द्वारा छोटानागपुर टेनेन्सी कानून व संविधान के पांचवी अनुच्छेद के उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की जमीन हड़पने के संबंध में श्री उमाकांत महतो, चटर्जी कंपाउंड, शिवमंदिर गली, हजारीबाग रोड, कोकर, रांची (झारखण्ड) का परिवाद।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 18/12/2012 के संदर्भ में कथन है कि अभी तक आपके यहां से इस मामले पर आयोग को कोई उत्तर-रिपोर्ट की गयी कार्रवाई संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष डा० रंभेश्वर उरांव ने दिनांक 09/04/2013 को अपराह्न 1.00 बजे इस प्रकरण में चर्चा हेतु आपके साथ बैठक निश्चित की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों/कागजातों सहित उक्त अनुसूचित तिथि/बैठक में चर्चा हेतु व्यक्तिगत तौर पर आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(के०डी० बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः

(1) श्री उमाकांत महतो, चटर्जी कंपाउंड, शिवमंदिर गली, हजारीबाग रोड, कोकर, रांची (झारखण्ड) को, कृपया उपरोक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(2) अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव
(3) अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय

(4) रांची झारखण्ड
संयुक्त सचिव के पीसीएम,

(5) एम.एम.ए. (NIC)

(के०डी० बन्सौर)
उप निदेशक